न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–333/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00222)

1. मोहन लाल पुत्र श्री डूंगरमल जाट, जाति जाट, आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम सांवलोदा पुरोहितान, तहसील धोद जिला सीकर, रजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला मजिस्ट्रेट, सीकर।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 21.03.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के आदेश दिनांक 06.07.2017 से असंतुष्ट होकर आर्म्स एक्ट, की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के नाम एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र क्रमांक 671/पीएण्ड आर/सीकर जिला कलक्टर सीकर द्वारा जारी किया गया जिसके नवीनीकरण हेतु अपीलार्थी सीकर गया तथा जिला कलक्टर कार्यालय सीकर पहुॅचकर शस्त्र नवीनीकरण करवाने के लिए एक अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उसने शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण व अन्य कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाकर आवेदन जिला कलक्टर सीकर के समक्ष पेश किया, उसके पश्चात् अपीलान्ट के पास दिनांक 28.06.16 को एक कारण बताओं नोटिस जिला कलक्टर सीकर के यहॉ से आया और अपीलार्थी से जवाब मांगा, जिसका विस्तृत जवाब अपीलार्थी ने जिला कलक्टर के समक्ष पेश कर दिया, काफी दिन तक उस पर क्या कार्यवाही हुई की जानकारी नही हो सकी, अपीलार्थी ने पता किया तो जानकारी मिली कि दिनांक 06.07.2017 को अपीलार्थी ही की शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन खारिज कर दिया गया है, उसके बाद अपीलार्थी ने सम्बधित पत्रावली की नकल निकलवाई एवं अपीलार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सलाह मुशवरा कर अपील अपीलान्ट जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपील पेश करने में हुए उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश वास्तविक एवं विधिक विवेचन के विपरित एवं मनमाना पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, सीकर से अपीलार्थी के अपराधिक रिकार्ड की रिपोर्ट मांगी गई तथा रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध एक मुकदमा धारा 323, 427 एवं 447 आईपीसी मुकदमा संख्या 13/2013 दर्ज होना पाया के आशय की रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर अपीलार्थी को नोटिस दिया

P.T.O.

गया, जिसका अपीलार्थी ने दिनांक 18.07.2016 को जवाब पेश किया, उसके पश्चात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सीकर ने वरिष्ठ विधिक अधिकारी से राय लेने हेतु दिनांक 05.10.2016 को आदेशिका अंकित की तथा वरिष्ठ विधिक अधिकारी ने प्रार्थी के विरूद्ध एक अपराधिक मुकदमा लम्बित होने की वजह से शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने से मना नही किया जाना चाहिए माना है तत्पश्चात् वरिष्ठ विधिक अधिकारी की राय के पश्चात् सहायक निदेशक अभियोजन सीकर से भी विधिक राय ली गई जिसमें सहायक निदेशक अभियोजन सीकर ने वारिष्ठ विधि अधिकारी की राय से सहमत होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त एस.बी.क्रि. रिट पिटीशन नम्बर 9335/16 राजेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य की विवेचना करते हुए अन्त में नवीनीकरण करने की अनुशंषा की लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विधिक विशेषज्ञ की राय पर भी गंभीरता से विचार नही कर मनमाना आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा नवीनीकरण आवेदन खारिज किया गया है, जो मनमाना आदेश होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पुलिस अधीक्षक, सीकर की रिपोर्ट में आयुद्ध अधिनियम के अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने के कारण अंकित किये हुए है, जिनमें लोक शांति भंग होने की संभावना हो और आदतन अपराधी हो, उपरोक्त कारणों में से पुलिस अधीक्षक, सीकर ने एक भी कारण नही बताया , फिर भी मनमाने तरीके से विधि के अनुज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन खारिज कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक एफ.2(99)शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण/2016 दिनांक 06.07.2017 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र क्रमांक 671/पीएण्डआर/सीकर का नवीनीकरण का आदेश फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया।अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पुलिस अधीक्षक, सीकर के पत्रांक सीकर/डी.एस.बी./2016/245 दिनांक 31.05.2016 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट

P.T.O.

के विरूद्ध मुकदमा संख्या 13/2013 अन्तर्गत धारा 447, 323, 427, 34 भादसं में दर्ज चार्जशीट नम्बर 141/2013 के द्वारा चालान पेश न्यायालय किया गया है जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नही की गई एवं अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाया जाकर गलत तथ्यों को अंकित करने के आधार पर आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 73(3) में प्रदत्त शाक्तियों के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक एफ.2(99)शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण/2016 दिनांक 06.07.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।